रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

30/5/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, वीरवार, अप्रैल 17, 1986/चैत्र 27, 1908
No. 88] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 1986/CHAITRA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1986

सार्वजनिक सूचना

सं. प्रतिअदायगी/सा० सं. 9/86

फा. सं. 600/2102/86-प्र. अ.:—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 82/फा. सं. 602/2/70-प्र. अ.) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार

सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिग्रदायगी/सा.सू.-9/85, दिनांक 16 जून, 1985 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

कालम "माल का विवरण," "प्रतिग्रदायगी की दर" और "ग्राबंटन" में उप क्रमांक सं. 2102 के सामने विद्यमान रिक्त प्रविष्टि के लिये निम्नलिखित प्रविष्टियां ग्रन्तःस्थापित की जाएंगी, ग्रर्थात् :--

उप क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर	ग्राबंटन	
			सी. शु.	के.उ.शु.
2102	ई. 1 शोधित चमड़ा और खाल ग्रर्थात् गाय का चमड़ा, भैंस का चमड़ा छोटे पशु का चमड़ा गाय के बछड़े, भैंस के बछड़े का चमड़ा और खाल, बकरी की खाल, भेड़ की खाल और उनके बछड़ों की खालें	2.55 (दो रु. और पचपन पैसे मात्र) प्रति किलो ग्राम	2.25	0.30

यह सार्वजनकि सूचना 1 फरवरी 1986 से लागू हुई समझी जाएगी।

सी. वरदराजन, ग्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th April, 1986

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN-9/86

F. No. 600/2102/86-DBK.—Under Rule 4 of the Customs & Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India (Extra-ordinary), dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amedment in the Table published in the Ministry's Drawback PN-9/85, dated the 16th June, 1985 namely.

In the Column "Description of goods", "Rate of Drawback" and "Allocation" against sub-serial No. 2102 for the existing 'vacant' entry the following entries shall be substituted, namely :—

Sub. Sl. No.	Description of goods	Rate of Drawback	Allocation Cus.	C.Ex.
2102	E.I. Tanned hides and skins, namely, cow hides, buffalo hides, kips, hides/ skins of cow calf and buffalo calf, goat skins, sheep skins and skins of their young ones.	Rs. 2.55 (Rupees two and paise fifty-five only) per Kg.	2.25	0.30

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of February, 1986.

C. VARADARAJAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986